



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अजय उर्फ मिन्टू पुत्र कालिका सिंह नि० उसमानपुर थाना विशुनगढ जनपद कन्नौज द्वारा थाना कोत० माधौगढ क्षेत्र में पुलिस के साथ की गयी मुठभेड की घटना के सम्बन्ध में थाना कोत० माधौगढ में मु०अ०सं० 374/2010 (वाद संख्या-82/2010) धारा 307/171/34 भादवि व 12/14 यूपीडी एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 13.02.2024 को मा० न्यायालय एडीजे/स्पे० डकैती कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त अजय उर्फ मिन्टू उपरोक्त को दोषी पाते हुये 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल महेन्द्र विक्रम सिंह



कोर्ट पैरोकार सतेन्द्र सिंह

@jalaunpolice

jalaunpolice

Jalaun Police